न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 387 सन 2018
अनवान :–

1. मांगेराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. ख्यालीराम पुत्र किस्तुरी जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर ।
2. गोपीराम 3 दुर्गा 4 कलावती 5 सुमित्रा 6 अमरों पुत्र व पुत्रीया ख्यालीराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर।
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

अर्जीदावा इष्तकरार हक स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 01.01.2019

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88,, आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा श्योरानी के खसरा न0 80 की 3.7320 हैक , खसरा न0 366 की 7.6280हैक कुल 11.3600हैक भूमि वादी के दादा किस्तुरा के नाम से दर्ज थी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता किस्तुरा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वाद भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी की बहने प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के दादा व मेरे पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि मेरे अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण वाद भूमि में वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 जो वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयों/पुत्रों के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल है ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोनक किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के दादा व मेरे पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि मेंरे अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 जो वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है ने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उन्होने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा/ईकबाल भी पेश किया जा चुका है।

वादी का वाद साक्ष्य सबुतों /प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की सहमति के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री किन्तु प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 6 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्य हकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी का वाद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की सहमति के आधार पर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा श्योरानी के खसरा न0 180 की 3.7320 हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ख्यालीराम के नाम से दर्ज कि जावे एवं खसरा न0 366 की 7. 6280हैक भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय आदेष के सलग्न 5000/– अखरे रूपये पांच हजार का सटाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय बाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आषय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

SAZaidi
(सैयद शीराज अली जैदी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official